न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 84 / 2020 (2020 / 00406) दायर दिनांक 24.08.2020
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

गिरीराज पिता मांगीलाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
——प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता राधा किशन माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गीता पुत्री मांगीलाल माली निवासी गंगापुर हाल निवासी चामराज पेट, कमला प्रोविजन स्टोर, ईद का मैदान, बैंगलोर
3. निर्मला देवी पुत्री मांगीलाल माली पत्नि राजेन्द्र माली निवासी गंगापुर हाल निवासी खारापानी टंकी के पास, महावीर मार्ग, मारवाड़ जंक्शन (पाली)
4. राजु पिता मांगीलाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. उप पंजीयक पदेन तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री अरविंद चौधरी
अधिवक्ता विपक्षीगण: श्री रितेश सुराणा
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 06.11.2020

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक लगायत चार के संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमियां खाता संख्या 972 में अराजी संख्या 5302 रकबा 0.20, 5346 / 1 रकबा 0.39 हे0 कुल किता दो कुल रकबा 0. 59 हे0 भूमि स्थित है।

प्रार्थी एवं विपक्षीगण एक लगायत चार एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका सजरा निम्न प्रकार हैं–

राधाकिशन पिता खेमा माली

सुन्दरवाई (पत्नि) — राधा बाई (पत्नि)

रूपादेवी — मांगीलाल — कमला देवी

गीता देवी — गिरीराज — राजू — देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त सजरे अनुसार स्व0 राधाकिशन पिता खेमा माली परिवार के मूल पुरूष थे। जिनके दो पत्नियां सुंदर बाई एवं राधा बाई थे जिसमें से सुंदर बाई लाऔलाद है जबकि राधा बाई के एक पुत्र मांगीलाल एवं दो पुत्रियां रूपादेवी एवं कमला देवी हुए । राधा बाई की मृत्यु हो चुकि है। इस प्रकार स्व0 राधाकिशन जी के हक हिस्से में सुंदर बाई, मांगीलाल रूपा देवी एवं कमला देवी चार वारिसान रहे जिनका कि राधाकिशन की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रेकार्ड राधाकिशन के उत्तराधिकारी के रूप में विरासत का नामान्तरण निर्णित किया गया। प्रार्थी व विपक्षी संख्या एक लगायत चार सभी हिन्दु विधि से शासित होते है, इस प्रकार मांगीलाल जी के पुत्र के रूप में राधाकिशन जी के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमियों में एक चौथाई हक हिस्सा है। जबकि इससे अधिक वर्तमान हिस्सा विपक्षी संख्या एक द्वारा अपनी बहिनों व माता से जरिये हक त्याग से प्राप्त किया गया, इसलिए मांगीलाल के पुत्र के रूप में प्रार्थी गिरीराज का स्व0 राधकिशन जी की भूमियों में 1/20 हिस्सा बनता है जिसके संबंध में खातेदारी अधिकारों की प्रार्थी करवाने का अधिकारी है।

खाता संख्या 972 में अराजी संख्या 5302 रकबा 0.20, 5346/1 रकबा 0.39 हे0 कुल किता दो कुल रकबा 0.59 हे0 भूमि में विपक्षी संख्या एक मांगीलाल तनहा खातेदार है, जिसका 3/4 भाग मांगीलाल को जरिये हक त्याग पत्र के अपनी बहिनों रूपा देवी, कमला देवी व माता सुंदर बाई से प्राप्त हुआ हैं, जबकि 1/4 भाग मांगीलाल को स्व0 राधाकिशन से विरासती प्राप्त है जिसमें प्रार्थी स्वयं भी एक बटा पांच हिस्से का यानि उक्त सम्पूर्ण खाते में से 1/20 हिस्से का प्रार्थी उत्तराधिकारी है जिसाक प्रार्थी उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी अविभक्त मौरूसी भूमियों में निहित अपने हिस्से को जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

स्व0 राधाकिशन की मृत्यु के पश्चात् समस्त भूमियां उपनके पुत्र मांगीलाल, पत्नि सुंदर बाई एवं पुत्रियां रूपादेवी एवं कमला देवी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई जिसमें से सुंदर बाई, कमला देवी व रूपा देवी को बहला फुसला कर विपक्षी संख्या एक ने अपने नाम पर उनके हिस्से की भूमियों का हक त्याग पत्र निष्पादित करवा लिया और इस प्रकार स्व0 राधाकिशन के वारिस के रूप में तन्हा सभी अपने नाम पर अंकित करवा ली। जबकि प्रार्थी स्वयं भी राधाकिशन जी का पोता है और संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमियों मे उसका भी जन्म से हक अधिकार है और अपने हक हिस्से अनुसार भूमियों पर काबिज हो प्रार्थी उनका उपयोग करता आ रहा है। किन्तु विपक्षी संख्या एक ने भूमि अपने नाम अंकित होने का नाजायज लाभ उठाने की गरज से एवं प्रार्थी को उसके हक आधिपत्य से वंचित करने की नीयत से उक्त कृषि भूमि पर बिना विधिनुसार अनुमति प्राप्त किये व सं[illegible] प्रयोजनार्थ भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिससे प्रार्थी विपक्षीगण [illegible] जा[illegible] स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद करवाने का अधिकारी है कि विपक्षीगण न तो [illegible] भूमि से बेदखल करें न संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त भूमियों पर बिना [illegible] विभाजन व राजकीय अनुमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:17 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

Scanned with CamScanner

संपरिवर्तन के निर्माण करें, लागत लगावें और न प्रार्थी के उपयोग उपभोग को किसी भी प्रकार से बाधित करें और न ही भूमियों को किसी अन्य के पक्ष में किसी भी रूप से हस्तांतरित ही करें।

प्रार्थी स्व0 राधाकिशन माली के संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य है और इस प्रकार उसे उक्त परिवार की भूमियों में जन्म से ही हक हिस्सा प्राप्त है किन्तु विपक्षी संख्या एक भूमि तनहा अपने नाम पर अंकित होने से उनको बेचान करने व प्रार्थी को उसके हक अधिकार से वंचित करेन व बेदखल करने पर आमादा हो रहा है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा इस प्रकार सुविधि संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल कर दिये जाने पर अपूरणीय क्षति होगी जिसका मौद्रिक आंकलन संभव नहीं है जिससे प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अरथायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि विपक्षीगण न तो उक्त भूमियों का अन्यत्र बेचान करें और न ही प्रार्थी को बेदखल करें और न प्रार्थी को उसके हक अधिकार से वंचित करें।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अरथाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या एक अपने नाम पर अंकित संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमियों को प्रार्थी को क्षति पहुंचाने की गरज से अन्यत्र किसी भी रूप में अंतरण नहीं करें, विपक्षीगण प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें और न ही विपक्षी संख्या पांच ऐसे किसी अंतरण का पंजियन नही करें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथारिथति बनाए रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.08.2020 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जाकर प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.08.2020 को एक पक्षीय अंतरीम अस्थाई निषेधाज्ञा रेकार्ड की यथा स्थिति जवाब पेश होने तक दी गई जिस पर विपक्षी संख्या एक के द्वारा दिनांक 09.10.2020 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक का जवाब यह हैं कि उक्त पैरा में अंकित कृषि भूमियां प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमियां नही है। कलम संख्या 02 में प्रार्थी द्वारा जो सजरा व सजरे से संबंधित तथ्य अंकित किये हैं बाबत आपत्ति नहीं है अवशेष कथन मिथ्या एवं गलत होने से स्वीकार नहीं है। कलम संख्या तीन में जंहा तक वादवर्णित कृषि आराजियात तन्हा रूप से मुझ विपक्षी के नाम दर्ज होने एवं उनका 3/4 हिस्सा हक त्याग से प्राप्त करने के तथ्य अंकित हैं बाबत् आपत्ति नहीं है अवशेष कथन मिथ्या एवं गलत होने से स्वीकार नहीं है। इसी प्रकार कलम संख्या 4, 5, 6, 7 गलत होने से स्वीकार नहीं है। कलम संख्या 8 कानूनी है, कलम संख्या 9 , 10 मिथ्या एवं गलत होने से अस्वीकार है, कलम संख्या 11 कानूनी है, कलम संख्या 12 अनुसार प्रार्थी ने जो [illegible] पेश किया वह मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। कलम संख्या 13 [illegible] प्रार्थी हैं जो स्वीकार नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि उपरोक्त वर्णित जवाब को [illegible] करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। इसके अतिरिक्त मजिद कथन पेश किये जो इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:17 IST
Reason: SelfAttested

3.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

Scanned with CamScanner

प्रार्थी आये दिन मुझ विपक्षी व परिवारजन के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलोच करता रहता है एवं मुझ विपक्षी एंव विपक्षी के परिवार से अलग निवास कर रहा है और परिवार की किसी भी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है जिससे प्रार्थी मुझ विपक्षी की किसी भी सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राधाकिशन की मृत्यु होते ही उनकी विरासत से उनकी सम्पत्तियां उनके वारिसान को हिस्से अनुसार प्राप्त हो गई जिससे संयुक्त परिवार उसी समय समाप्त हो गया और मुझ विपक्षी को प्राप्त मेरा हिस्सा स्वअर्जित हो गया। इस कारण प्रार्थी मुझ विपक्षी के नाम दर्ज सम्पत्तियों में किसी प्रकार की कोई घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने जो विभाजन का वाद पेश किया उसमें प्रार्थी की माता यानि मुझ विपक्षी की पत्नि शान्ता देवी कानूनन हकदार होकर आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रार्थी ने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये —

1. Uttam vs Saubhag Singh & Ors S.C. 2016
2. Harivallabh & Anr. Vs Mahadev Prasad Gupta & Ors. CJ 2017 (3) Raj. 2002
3. Omprakash & Anr. Vs Amarnath & Ors. CJ 2018 (2) Raj. 1105
4. Narayan & Anr. vs Hastimal & Anr. Raj. H.C. 2015
5. DNJ RAJASTHAN 2010 (1) page 61

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। इसी प्रकार विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में प्रार्थनापत्र के जबाव के वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी आये दिन मुझ विपक्षी व परिवारजन के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलोच करता रहता है एवं मुझ विपक्षी एंव विपक्षी के परिवार से अलग निवास कर रहा है और परिवार की किसी भी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है जिससे प्रार्थी मुझ विपक्षी की किसी भी सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राधाकिशन की मृत्यु होते ही उनकी विरासत से उनकी सम्पतियां उनके वारिसान को हिस्से अनुसार प्राप्त हो गई जिससे संयुक्त परिवार उसी समय समाप्त हो गया और मुझ विपक्षी को प्राप्त मेरा हिस्सा स्वअर्जित हो गया। इस कारण प्रार्थी मुझ विपक्षी के नाम दर्ज सम्पत्तियों में किसी प्रकार की कोई घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने जो विभाजन का वाद पेश किया उसमें प्रार्थी की मा[illegible] शान्ता देवी कानूनन हकदार होकर आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रार्थी ने वाद प[illegible]ना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया है अतः जवाब [illegible] मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 [illegible] हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 84 / 2020(2020 / 00406)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टया मामला न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 8 अनुसूची प्रथम व्यक्ति क्या एक पुत्र / पुत्री को अपने पिता के जीवन काल में उत्ताराधीकारी माना जा सकता है यह निर्धारित नहीं है। तथा वादपत्र का निर्णय नही होने तक विपक्षीगण कब्जेदार स्वामित्व है। अतः पहला बिन्दु केवल मात्र प्रार्थी के ही पक्ष में ऐसा साबित नहीं।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलन:– यदि प्रार्थीा को आदेश नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी जो प्रतिवादी के पक्ष में जारी किये जाने पर उसको होने वाली असुविधा से अधिक हो अतः बिन्दु साबित नहीं।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षति:– विपक्षीगण कब्जेदार स्वामित्व है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि जबरदस्ती निर्माण करवा देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः केवल मात्र कल्पना के आधार पर अपूरणीय क्षति का आंकलन नहीं किया जा सकता है। अतः बिन्दु साबित नहीं होने से प्रा0पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश दिनांक 06.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner